

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous 4th Bail Application No. 12133/2025

Dalu Ram S/o Mota Ram, Aged About 43 Years, R/o Nehro Kee
Dhani, Police Station RGT Rawli Nadi, District Barmer (Lodged In
Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Mohammed Muneer Dhera
For Respondent(s)	: Mr. Sameer Pareek, Addl. G.A

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

28/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता) पुलिस थाना रागेश्वरी गैस टर्मिनल (रावली नाडी), जिला बाड़मेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 93/2020 अपराध अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302, 307, 394, 365 भारतीय दण्ड संहिता व 3/25 आयुध अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 17.08.2020 से अभिरक्षा में है। प्रकरण में कुल 57 साक्षियों में से केवल 15 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध हुए थे, उसके पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा कुल 13 गवाहों को वापस साक्ष्य के लिए बुलाया गया है और पुनः प्रार्थी/अभियुक्त की साक्ष्य नये सिरे से प्रारंभ होगी। प्रार्थी/अभियुक्त के समान आपराधिक कृत्य के सहअभियुक्तगण मुकेश कुमार उर्फ मुलाराम का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13427/2024 आदेश दिनांकित 12.02.2025, घनश्याम का जमानत प्रार्थना पत्र

संख्या 4322/2024 आदेश दिनांकित 25.02.2025 व कंवरा राम का जमानत प्रार्थना पत्र 3142/2025 आदेश दिनांकित 01.04.2025 के द्वारा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण सहअभियुक्तगण के प्रकरण के समान है। पीडब्ल्यू 01 डॉ. देवराज व पीडब्ल्यू 02 डॉ. गणेशाराम के बयान से भी अभियोजन कहानी साबित नहीं होती है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आपराधिक विविध याचिका संख्या 5501/2025 में उसके विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी। उक्त याचिका में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.07.2025 के द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 53/2021 (सरकार बनाम डालूराम व अन्य), विद्वान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा में लंबित है, जिसको स्थगित कर रखा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में पीडब्ल्यू 03 प्रेमराम ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने यह कहा है कि मैं और मेरा भाई रेखाराम खुड़ाला के पास पहुंचे तब डालूराम का फोन आया और कहा कि वीर तेजाजी होटल पर आ जाओ और रेखाराम गाड़ी से होटल पर पहुंचा तो वहां डालूराम खड़ा था और हम गाड़ी से उतर कर उसके पास गये व अन्य सहअभियुक्त कैम्पर गाड़ी से हाथों में पिस्टल व लोहे की राड लेकर आया, जिसका नाम डालूराम है, घटना की रिपोर्ट में बताया गया है, उनके आते ही डालूराम ने रेखाराम के आंखों में मिर्ची डाल दी और जबरदस्ती उठाकर कैम्पर में डाल दिया। बीच-बचाव करने लगे तो उसकी कनपटी पर भी पिस्टल रख दिया और फायरिंग की तो वो वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद सवा ग्यारह बजे डालूराम का दमाराम के

पास फोन आया कि हमने रेखाराम को मार दिया है, इसे यहां से लेकर जाओ। हम वहां पहुंचे और उसको गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जा रहे थे तब रेखाराम ने उक्त घटना की जानकारी दी और कहा कि अन्य सहअभियुक्त के साथ डालूराम ने भी मारपीट की तथा रास्ते में ही रेखाराम की मृत्यु हो गई थी। पीडब्ल्यू 03 प्रेमराम ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में यह बताया है कि गाड़ियों की लेनदेन को लेकर रेखाराम और डालूराम के आपस में अनबन थी। दोनों की पत्नियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें रेखाराम की पत्नी चुनाव जीत गई और डालूराम की पत्नी चुनाव हार गई। पीडब्ल्यू 03 प्रेमराम ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में डालूराम द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाना बताया गया है। डालूराम द्वारा रेखाराम की आंख में मिर्ची डालना और उसकी कनपटी पर पिस्टल तानना बताया गया है और यह कहा है कि सवा ग्यारह बजे दमाराम के पास डालूराम का फोन आया कि हमने रेखाराम को मारकर भटाला चौराहे के बजरंग होटल पर फेंक दिया। दमाराम पीडब्ल्यू 08 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसने भी अपने बयान की मुख्य परीक्षा में इस तथ्य को कहा है कि डालूराम ने उसे फोन करके बताया कि तुम्हारे भाई को भटाला बजरंग होटल पर मार दिया है, उसे लेकर जाओ। पीडब्ल्यू 04 हनुमानराम ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में रेखाराम को डालूराम द्वारा होटल के आगे डालना बताया गया है। डालूराम के कैम्पर गाड़ी के फाटक के डाले पर रेखाराम के खून के धब्बे होने के तथ्य घमंडाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है। डालूराम द्वारा रेखाराम के आंख पर मिर्ची पाउडर डालने की स्थिति में टटनास्थल पर मिर्ची पाउडर मिलने के तथ्य को मुख्य परीक्षा में पीडब्ल्यू 10 बालाराम ने अपने बयान में बताया है। पीडब्ल्यू 12 पप्पु उर्फ भंवरलाल ने भी अपने बयान की मुख्य परीक्षा में इस तथ्य को कहा है कि लगभग सवा ग्यारह बजे दमाराम को मोबाइल पर उसके सामने डालूराम का फोन आया था कि तुम्हारे भाई रेखाराम को मार दिया है, इसे ले जाओ। प्रार्थी/अभियुक्त डालूराम के कब्जे से खून आलूदा लोहे का कण (हथौड़ा) व मिर्ची पाउडर मौके पर से जब्त हुआ है और प्रार्थी/अभियुक्त से बोलेरो कैम्पर व मोबाइल भी जब्त हुआ है।

इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त डालूराम मुख्य अभियुक्त है। प्रेमाराम के बयान की मुख्य परीक्षा के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त ने ही रेखाराम को घटनास्थल पर बुलाया था और उसकी आंख में मिर्ची डाली और उसका अपहरण किया गया और उसके साथ मारपीट की। इस स्तर पर अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण के बयान पर गुणावगुण पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक के तर्क के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा पुनः 13 अभियोजन साक्षीगण को तलब किया है। इस प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय से प्रकरण के निस्तारण के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी। विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा क्रमांक 390, दिनांक 27.03.2026 के अनुसार उक्त न्यायालय द्वारा नजदीक तारीख पेशी देकर समय-समय पर गवाहों की तलबी जारी कर प्रकरण को निस्तारित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इस दौरान माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका संख्या 5501/2025 आदेश दिनांकित 22.07.2025 के द्वारा प्रकरण की न्यायिक कार्यवाही पर आगामी कार्यवाही पर स्थगन रख दिया, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण कार्यवाही रूकी हुई है। इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में फौजदारी विविध याचिका संख्या 5501/2025 प्रस्तुत की, जिसमें इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा दिनांक 22.07.2025 को आदेश पारित कर विद्वान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा के यहां प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध लंबित सेशन प्रकरण संख्या 53/2021 की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने व स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा दिये जाने के कारण से प्रकरण में विलंब हुआ है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्षीगण के बयान लेखबद्ध नहीं किये जा रहे हो और प्रार्थी/अभियुक्त का प्रकरण निस्तारित नहीं हो पा रहा हो, इस प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त स्वयं द्वारा स्थगन आदेश लिये जाने के कारण प्रकरण की कार्यवाही रूकी हुई है।

प्रार्थी/अभियुक्त पर रेखाराम के बयान के आधार पर रेखाराम की मृत्यु करने के अपराध का आरोप है, प्रार्थी/अभियुक्त को मुख्य अभियुक्त बताया गया है। घटना कारित करने व उसके द्वारा उक्त उपयोग में लिये गये मिर्ची, हथौड़ा व बोलेरो कैम्पर जब्त हुए हैं। प्रकरण में कॉल डिटेल अनुसंधान अधिकारी द्वारा ली गई है, जिसमें भी प्रार्थी/अभियुक्त की घटनास्थल पर उपस्थिति बताई गई है। सहअभियुक्तगण कंवराराम व मुकेश कुमार उर्फ मुलाराम का प्रकरण प्रार्थी/अभियुक्त के प्रकरण के समान हो, यह नहीं माना जा सकता है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **डालूराम पुत्र मोटाराम** की ओर से प्रस्तुत यह चतुर्थ जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J